कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक/07/रीडर/जि0दण्डा0/2022 कोण्डागांव दिनांक 07/02/2022

जिले में कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/185/रीडर/जि0दण्डा0/2022 कोण्डागांव दिनांक 15 जनवरी 2022 की कंडिका 2 अनुसार जिले में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक तिहाई उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी किया गया था।

2. वर्तमान में जिले में कोविड–19 के प्रकरणों में कमी के फलस्वरूप कंडिका 2 में संशोधन करते हुए जिले में स्थित समस्त कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की दिनांक 08 फरवरी 2022 से शत प्रतिशत (100%) उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करेंगे।

4. सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदण्ड जैसे मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर का समय–समय पर उपयोग करना आदि का कड़ाई से पालन करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/07A/रीडर/जि0दण्डा0/2022 कोण्डागांव दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग (जगदलपुर) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. समस्त कार्यालय प्रमुख..जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व संबंधितों ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)